प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

रिट याचिका 227 सं 940/2018

पदम कुमार सिंघानिया पिता श्री श्रवण कुमार सिंघानिया 60 वर्ष निवासी रेलवे स्टेशन विक्रमपुर रोड, वार्ड सं.15, बुरहार जिला शहडोल, मध्य प्रदेश।जिला जिला : शहडोल, मध्य प्रदेश

---याचिकाकर्ता

बनाम

साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड महाप्रबंधक के द्वारा, सोहागपुर क्षेत्र, जिला शहडोल मध्य प्रदेश।जिला शहडोल, मध्य प्रदेश

----उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु :--श्री हर्ष वर्धन, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :--श्री एच. बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता,सुश्री स्वाति अग्रवाल, अधिवक्ता

माननीय श्री राकेश मोहन पांडे,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

01. 07.2025

1. याचिकाकर्ता ने निष्पादन करने वाले विद्वान न्यायालय/जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा दिनांक 18.04.2018 को निष्पादन प्रकरण क्रमांक 111/2004 में पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत विद्वान निष्पादन न्यायालय ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम आर एस अवतार सिंह एंड कंपनी के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के विपरीत उत्तरवादी/निर्णय देनदार द्वारा जमा की गई 50% राशि को विनियोजित कर लिया है, जिसकी रिपोर्ट (2013) 1 एससीसी 243: (2013) 1एससीसी (सिविल) 230:2013 एससीसी ऑनलाइन एससी 838 में दी गई है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थ द्वारा 07.07.2004 को एक निर्णय पारित किया गया था, जिसके तहत उत्तरवादी को 01.01.2000 से इसकी वसूली दिनांक तक 12% की दर से ब्याज सहित 74,40,000/– रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे आगे अधिनियम, 1966 कहा जाएगा) की धारा 34 के तहत एक याचिका दायर की गई थी और इसे खारिज कर दिया गया था, और उसके बाद, अधिनियम, 1966 की धारा 37 के तहत दायर एक अपील भी खारिज कर दी गई थी, और बाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी।उन्होंने आगे कहा कि एम.ए. संख्या 254/2006 में उत्तरवादी को अधिनिर्णय राशि का 50% जमा करने का निर्देश दिया गया था और शेष अधिनिर्णय पर 28.02.2006 के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी ने अधिनिर्णय राशि का 50% निष्पादन करने वाले विद्वान न्यायालय में जमा कर दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि निष्पादन करने वाले विद्वान न्यायालय ने जमा राशि का 50% मूल राशि के विरुद्ध और 50% ब्याज के विरुद्ध समायोजित कर दिया है और इस प्रकार निष्पादन करने वाले विद्वान न्यायालय का दृष्टिकोण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर.एस. अवतार सिंह (सुप्रा) के मामले में निर्धारित विधि के विपरीत है।उन्होंने निर्णय के कंडिका 31.1 का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि जहाँ अधिनिर्णय राशि के विनियोग के लिए कोई विशिष्ट संकेत/निर्देश नहीं है, वहाँ समायोजन सबसे पहले ब्याज और लागतों के भुगतान और उसके बाद मूल राशि के भुगतान के लिए किया जाना चाहिए।वह निष्पादन करने वाले विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2018 को पारित आदेश को अपास्त करने का अनुरोध करते है। वह आगे तर्क देते है कि संबंधित न्यायालय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दूसरी ओर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल इसका विरोध करते है।वह प्रस्तुत करते है कि दिनांक 28.02.2006 के एम.ए. संख्या 254/2006 में पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में, अधिनिर्णय राशि का 50% निष्पादन न्यायालय में जमा कर दिया गया था।उन्होंने आगे कहा कि निष्पादन करने वाले विद्वान न्यायालय ने जमा राशि का 50% मूल राशि के साथ और 50% ब्याज के साथ समायोजित करना उचित समझा गया है ।उन्होंने यह भी कहा कि विद्वान निष्पादन न्यायालय ने पंचाट में जारी निर्देशों के साथ–साथ एमए संख्या 254/2006 में पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में एक सुविचारित आदेश पारित किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

5. यह स्वीकार कर लिया जाता है कि मध्यस्थ द्वारा 07.07.2004 को एक निर्णय पारित किया गया था, जिसके तहत उत्तरवादी को 01.01.2000 से वसूली की तिथि तक 12% की दर से ब्याज सहित 74,40,000/– रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।उत्तरवादी द्वारा अधिनियम, 1996 की

धारा 34 के तहत दायर याचिका और धारा 37 के तहत अपील खारिज कर दी गई, यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गई।2006 के एम.ए. संख्या 254 में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया और उत्तरवादी को निर्णय राशि का 50% जमा करने का निर्देश दिया गया था।लंबित निष्पादन कार्यवाही में, उत्तरवादी ने अधिनिर्णय राशि का 50% जमा कर दिया। विद्वान निष्पादन न्यायालय ने जमा राशि का 50% मूल राशि के विरुद्ध और 50% ब्याज के विरुद्ध समायोजित कर दिया गया।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **आर.एस. अवतार सिंह (सुप्रा)** के मामले में कंडिका 31.1 में, इस विवाद्यक पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:---

"31.1 डिक्रीटल/अवमूल्यन राशि के लिए विनियोजन का सामान्य नियम यह था कि ऐसी राशि को डिक्री में निहित निर्देशों के अनुसार सख्ती से समायोजित किया जाना था और ऐसे निर्देशों के अभाव में समायोजन सबसे पहले ब्याज और लागतों के भुगतान के लिए और उसके बाद मूल राशि के भुगतान के लिए किया जाना था, जो निश्चित रूप से पक्षों के बीच किसी करार के अधीन था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के मात्र वाचन से, यह सुरक्षित रूप से अभिनिर्धारित किया जाता है कि जब डिक्रीटल राशि के विनियोग के संबंध में कोई निर्देश नहीं है, तो समायोजन सबसे पहले ब्याज और लागतों के भुगतान की ओर और उसके बाद मूल राशि के भुगतान की ओर किया जाएगा।

8. वर्तमान मामले में, विद्वान निष्पादन न्यायालय ने मूल राशि के विरुद्ध जमा राशि का 50% और ब्याज भाग के विरुद्ध 50% समायोजित करके कानून की त्रुटि की है; इसलिए, विद्वान निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित 18.04.2018 के आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **आर एस अवतार सिंह (सुप्रा) के** मामले में पारित निर्णय के आलोक में इस विवाद्यक पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए विद्वान कार्यकारी न्यायालय को वापस भेजा जाता है।

9. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाता है।

सही/-
(राकेश मोहन पांडे)
न्यायाधीश

हेड नोट:---

निष्पादन कार्यवाही में डिक्री राशि का विनियोजन–जब डिक्री या पंचाट में डिक्री राशि के विनियोजन के संबंध में कोई निर्देश न हो, तो समायोजन सर्वप्रथम ब्याज और लागत के भुगतान के प्रति तथा तत्पश्चात मूल राशि के भुगतान के प्रति किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur